

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जुलाई 2014—आषाढ 12, शक 1936

लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2014

क्र. एफ 1-52-2012-स्था.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक निर्माण अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची—दो में, अनुक्रमांक (2) में,—

- (एक) कालम (4) में, अंक और शब्द “25 प्रतिशत” के स्थान पर, अंक और शब्द “50 प्रतिशत” स्थापित किए जाएं;
- (दो) कालम (5) में, अंक और शब्द “75 प्रतिशत” के स्थान पर, अंक और शब्द “50 प्रतिशत” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) कालम (7) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“33 प्रतिशत पत्रोपाधि धारक उपयंत्रियों में से.

13 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से, जिन्होंने या तो सेवा के दौरान इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की हो, या जो सेवा में उनके प्रवेश के पूर्व से इंजीनियरिंग उपाधि रखते हों.

4 प्रतिशत मानचित्रकार संवर्ग से.”

No. F-1-52-2012-E-XIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Works

Engineering (Gazetted) Services Rules, 1969, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-II, in serial number (2),—

- (i) In column (4), for the figure and word “25 percent”, the figure and word “ 50 percent” shall be substituted;
- (ii) In column (5), for the figure and word “75 percent”, the figure and word “50 percent” shall be substituted;
- (iii) In column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“33% form diploma holder Sub-Engineers.

13% from the Sub-Engineer either who have obtained Engineering Degree during Service or who possesses Engineering Degree prior to their joining in the service.

4% from the Draftsman cadre.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, उपसचिव.